न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
R.M.A.-11/2010-11

दरबारी लोहार वगैरह
बनाम
विमला देवी वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

18.10.2022 यह अपील वाद अपीलकर्त्ता दरबारी लोहार, पिता– स्व0 रामधन लोहार, 2. रमेश लोहार, पिता–दरबारी लोहार, 3. अतुश लोहार, 4. परधान लोहार, 5. सुगलम लोहार 6. लखन लोहार 3 से 6 तक का पिता–छकु लोहार 7. आशाराम लोहार, पिता–स्व0 लखीराम लोहार 8 बैजनाथ लोहार, पिता–उपस लोहार एवं 9. महादेव लोहार, पिता–स्व0 शंकर लोहार सभी का सा0– दरादर, थाना–लिट्टीपाड़ा, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–05/2006–07 में दिनांक 26.07.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध कालीचरण लोहार, पिता–स्व0 मोहित लोहार 2. फागू लोहार, पिता– स्व0 एतवारी लोहार एवं 3. बीरेन लोहार, पिता–स्व0 मनीलाल लोहार सभी का वर्त्तमान सा0–दरादर, थाना–लिट्टीपाड़ा, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी सं0–01 कालीचरण लोहार की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनकी पत्नी विमला देवी को पक्षकार बनाया गया। सुनवाई के दौरान ही अपीलार्थी सं0–01 दरबारी लोहार की मृत्यु हो गई। उनके स्थान पर उनके पुत्र राजेन्द्र लोहार एवं दिलीप लोहार को पक्षकार बनाया गया।

मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के उत्तरवादीगण द्वारा अंचल लिट्टीपाड़ा के मौजा–दरादर के जमाबन्दी सं0–21 अन्तर्गत दाग सं0– 14, 46, 51, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 513, एवं 515 अन्तर्गत रकवा 33–12–01 धुर एवं दाग सं0–49से इस वाद के मूल अपीलकर्त्तागण को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0–05/2006–07 प्रारंभ करते हुए सुनवाई की गई एवं दिनांक 26.07.2010 को पारित आदेश के द्वारा दरबारी लोहार एवं अन्य (इस वाद के मूल अपीलकर्त्तागण) को प्रश्नगत भूमि से SPT Act 1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद किया गया। यह अपील वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्त्ता द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल किया गया है।

(1) अपीलकर्त्ता का मुख्य रूप से कहना है कि मौजा–दरादर का जमाबन्दी सं0–21 के खतियानी रैयत बुधू लोहार है जिनके पिता–फिरंगी लोहार हैं। जबकि जमाबन्दी सं0–29 के खतियानी रैयत शम्भू लोहार है। मैक फर्सन सेटेलमेन्ट के अनुसार फिरंगी लोहार एवं शम्भू लोहार के पिता–लकोड़ी लोहार हैं। इस तरह शम्भू लोहार एवं फिरंगी लोहार आपस में सहोदर भाइ हैं। अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन में इसका उल्लेख है।

(2) खतियानी रैयत बुधू लोहार की एकमात्र पुत्री पुरकी लोहारिन थी, कोई पुत्र नहीं था। पुरकी लोहारिन की शादी मोहित राम लोहार के साथ साधारण रीति से गोड्डा जिला में हुई थी।

(3) पुरकी लोहारिन की मृत्यु 1953 में हो गई थी अर्थात् हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लागू होने के पूर्व। उक्त अधिनियम के लागू होने के पूर्व महिला अपने पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी (Heir) अथवा हमवारिस (Coparcener) नहीं हो सकती थी। उभय पक्ष मिताक्षरा हिन्दु लॉ ऑफ सक्सेशन के तहत आते हैं।

(4) खतियानी रैयत बुधू लोहार की मृत्यु के बाद हिन्दु लॉ ऑफ सक्सेशन के तहत जमाबन्दी सं0–21 की सारी भूमि का उत्तराधिकारी अपीलकर्त्तागण हो गए। उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर शान्तिपूर्व दखल–कब्जा कर लगान दिया जाने लगा।

(5) उनका आगे कहना है कि पुरकी लोहारिन की शादी 1958 में नहीं अपितु वर्ष 1952 के पूर्व हुई थी। उनके पुत्र एतवारी लोहार की जन्म तिथि केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी, राजमहल खनि समूह ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, राजमहल खनि समूह के पत्रांक 921 दिनांक 16.11.2017 द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार दिनांक 14.03. 1952 बतायी गई है।

(6) खतियानी रैयत बुधू लोहार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में सूचना आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी एकमात्र पुत्री पुरकी लोहारिन की शादी मोहित राम लोहार के साथ घरजमाई रीति से की गई एवं उन्हें अपने घर लाया गया। उक्त सूचना आवेदन रा0वि0 वाद सं0–256/1957–58 दर्ज कर संचित किया गया। उक्त सूचना आवेदन में शादी की तिथि अंकित नहीं है बल्कि घरजमाई को लाने की तिथि अंकित है।

Scanned with CamScanner

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

(7) यदि शादी 1958 में हुई जैसा की उत्तरवादी का दावा है तो पूरकी लोहारिन के पुत्र एतवारी लोहार का जन्म वर्ष 1952 में किस प्रकार हो सकता है। स्पष्ट है कि शादी 1952 के पूर्व हुई थी।

(8) उभय पक्ष लोहार जाति के हैं जो आदिवासी या संथाल नहीं है। हिन्दु समाज में घरजमाई शादी का प्रावधान नहीं है। घरजमाई शादी का प्रावधान संथाल समाज में है जबकि उभय पक्ष OBC है।

(9) खतियानी रैयत बुधू लोहार की मृत्यु के बाद से ही प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के पूर्वजों एवं अपीलार्थी का दखल कब्जा है एवं इस प्रकार Adverce possession प्राप्त कर लिया गया है।

(10) अपीलार्थी हिन्दू लॉ ऑफ सक्सेशन के तहत खतियानी रैयत बुधू लोहार के उत्तराधिकारी हैं अतः धारा 42 इस मामले में लागू नहीं हो सकती है। यदि उत्तरवादी का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक है तो वे स्वत्व के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है।

उनके द्वारा अपील आवदेन को स्वीकृत करने एवं निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी का कहना है कि प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–21 विगत सर्वे खतियान में बुधू लोहार के नाम से दर्ज है। बुधू लोहार की एकमात्र पुत्री पुरकी लोहारिन थी।

(1) उक्त पुरकी लोहारिन की घरजमाई रीति से शादी मोहितराम लोहार के साथ हुई थी। पुरकी लोहारिन के तीन पुत्र एतवारी लोहार, कालीचरण लोहार एवं मनी लोहार हुए। उत्तरवादी इनके वंशज है।

(2) पुरकी लोहारिन की शादी वर्ष 1958 में हुई थी। जो अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–256/1957–58 से स्पष्ट है।

(3) अपीलकर्त्तागण का संबंध जमाबन्दी सं0–29 से है। प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–21 के खतियानी रैयत से उनका कोई संबंध नहीं है। ये बाहरी लोग हैं एवं जबरन प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा किया गया है।

(4) अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्तागण को जमाबन्दी सं0–29 का वंशज बताया गया है एवं प्रश्नगत भूमि से उच्छेद करने का प्रस्ताव दिया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

किया गया।

उत्तरवादी का यह दावा है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत बुधू लोहार थे तथा उनकी पुत्री पुरकी लोहारिन थी। अपीलकर्ता इस तथ्य से सहमत है तथा इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है। विवाद केवल इस बात पर है कि पुरकी लोहारिन की शादी कब हुई थी। अपीलकर्ता द्वारा केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी राजमहल खनि समूह ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, राजमहल खनि समूह के पत्रांक 921 दिनांक 16.11.2017 द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर कहा गया है कि एतवारी लोहार जो पुरकी लोहारिन के पुत्र है की जन्म तिथि 14.03.1952 है, इसलिए पुरकी लोहारिन की शादी इसके पूर्व हुई है। परन्तु समाज में उपलब्ध कई दृष्टांतों के आधार यह कहा जा सकता है कि पुत्र की जन्म तिथि शादी निर्धारित करने का कोई Conclusive evidence नहीं है।

इस संदर्भ में उत्तरवादी द्वारा दाखिल अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के रा0वि0वाद 256/1957–58 में दाखिल खतियानी रैयत बुधू लोहार का सूचना आवेदन के नकल की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन में खतियानी रैयत द्वारा कहा गया है कि उनकी एक मात्र पुत्री पुरकी लोहारिन है तथा दिनांक 17.03.1958 को लड़की के नाम पर घरजमाई लाया हूँ। उक्त सूचना आवेदन दिनांक 25.03.1958 को तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संचिकास्त किया गया है। उक्त सूचना आवेदन से स्पष्ट है कि पुरकी लोहारिन की शादी दिनांक 17.03.1958 को सम्पन्न हुई तथा इसके बाद दिनांक 25.03.1958 को खतियानी रैयत बुधू लोहार द्वारा इसकी सूचना विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ को दी गई।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए इसे बरकरार रखा जाता है एवं अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करायें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
पाकुड़

उपायुक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.06 16:25:39 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1404:3cc6:3557:abc9

Scanned with CamScanner